"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2006—आश्विन 26, शक 1928

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 2062/970/32/2006.—राज्य सरकार द्वारा लोकहित में यह निर्णय लिया गया है कि रायपुर जिला के आरंग तहसील में पुरा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाकर, इसे विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जावे.

अतएव छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करती है. उक्त विशेष क्षेत्र हेतु गठित विकास प्राधिकरण को "पुरा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" के नाम से जाना जायेगा, और उसकी सीमाएं रायपुर जिले के ग्रामों से, नीचे दी गई अनुसूची अनुसार निर्धारित होंगी.

अनुसूची

पुरा विशेष क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : तहसील आरंग के ग्राम नरदहा, पचेड़ा, चंदखुरी, नगपुरा और संकरी की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व : तहसील आरंग के ग्राम संकरी, बड़गांव, तोड़गांव, गोढ़ी और ग्राम बहनाकाड़ी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण : तहसील आरंग के ग्राम गोढ़ी, सोनपैरी, मुनरेठी, बहनाकाड़ी, धनसेली, नरदहा और ग्राम संकरी की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम : तहसील आरंग के ग्राम गोढ़ी, सोनपैरी, बहनाकाड़ी, धनसेली और ग्राम नरदहा की पश्चिमी सीमा तक.

Raipur, the 18th October 2006

NOTIFICATION

No. 2062/970/32/2006.—Government of Chhattisgarh in public interest has decided to constitute a Special Area Development Authority for the implementation of PURA Project in the Arang Tahsil and same is to be developed as Special Area.

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 64 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby designates the said Area, as a Special Area which shall be known by the name of PURA Special Area Development Authority. The limits of the villages of Raipur District, shall be as defined as per the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

LIMIT OF PURA SPECIAL AREA

North : Northern limit of Villages Nardaha, Pacheda, Chandkhuri, Nagpura and Sankri of Arang Tahsil.

East : Eastern limit of Villages Sankari, Badgaon, Todgaon, Godi and Bahnakadi of Arang Tahsil.

West : Western limit of Villages Godi, Sonpairi, Munrethi, Bahnakadi, Dhanseli, Nardaha and Sankari of Arang Tahsil.

South : Southern limit of Villages Godi, Sonpairi, Bahnakadi, Dhanseli and Nardaha of Arang Tahsil.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2006—कार्तिक 5, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/98/2006/वा. कर (आब.)/पांच (88).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (क), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-डी. एस. आर., दिनांक 07 जनवरी, 1960 के अधीन प्रकाशित विप्रकृत स्पिरिट नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) नियम सात-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

सात-ख :— पेट्रोल/पेट्रोलियम उत्पादों में मिलाने के लिये विप्रकृत स्पिरिट को रखने के लिए अनुज्ञप्ति :—

(एक) आबकारी आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी पेट्रोल/पेट्रोलियम उत्पादों में मिलाने के लिए विप्रकृत स्पिरिट को रखने और संग्रहण के लिये प्ररूप डी. एस. 4 ख में ऐसी फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए;

(दो) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी तेल कम्पनी, जो कि मोटर स्पिरिट एवं विप्रकृत स्पिरिट का सम्मिश्रण करने के लिये अधिकृत हो, अनुज्ञप्ति के लिये लिखित में आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा जिसकी कि अधिकारिता में वह परिसर जहां मिलावट की जाएगी, अवस्थित है या अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट रहेंगी :—

(क) आवेदक का नाम और उसका पता

(ख) उस स्थान का विवरण जहां विप्रकृत स्पिरिट को संग्रहीत और मिलाया जाएगा.

(ग) उस भवन का प्लान और मानचित्र जहां विप्रकृत स्पिरिट संग्रहीत किया जाएगा और मिलाया जाएगा.

(घ) वार्षिक रूप से अपेक्षित विप्रकृत स्पिरिट की मात्रा.

(2) नियम आठ के खण्ड (2) में परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"परन्तु यह और कि, ऐसी अनुज्ञा फीस जैसी कि, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, प्ररूप डी. एस. 4-ख में अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति द्वारा विशेष विप्रकृत स्पिरिट के आयात पर प्रभारित की जाएगी."

(3) नियम आठ के खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि, ऐसी अनुज्ञा फीस जैसी कि, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, प्ररूप डी. एस. 4-ख में अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा विशेष विप्रकृत स्पिरिट के निर्यात पर प्रभारित की जाएगी."

(4) नियम नौ के खण्ड (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि, ऐसी अनुज्ञा फीस जैसी कि, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, प्ररूप डी. एस. 4-ख में अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति द्वारा विशेष विप्रकृत स्पिरिट के परिवहन पर प्रभारित की जाएगी."

(5) प्ररूप डी. एस. 4-क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

प्ररूप डी. एस. 4-ख

[नियम सात-ख (एक) देखें]

विशेष प्रक्रिया द्वारा विप्रकृत की गई स्पिरिट को रखने और उपयोग करने के लिये अनुज्ञप्ति

विप्रकृत स्पिरिट नियमों के नियम सात-ख के अधीन और .... रुपये फीस के भुगतान के प्रतिफल में जिसकी कि प्राप्ति एतद्द्वारा अभिस्वीकृत की जाती है, ... जिले के .... शहर में .... में स्थित परिसर में .... लीटर्स विप्रकृत स्पिरिट रखने के लिए 200...... से 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की कालावधि हेतु मेसर्स .... को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है :—

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति का विस्तार, पेट्रोल या पेट्रोलियम उत्पादों में मिलाने के लिए विप्रकृत स्पिरिट के आधिपत्य के लिए है.

2. विशेष विप्रकृत स्पिरिट केवल अनुज्ञप्त परिसरों पर ही रखा जाएगा और शर्त 1 में विनिर्दिष्ट उन प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए विक्रीत नहीं किया जाएगा और न ही उपयोग में लाया जाएगा तथा कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जाएगा.

3. वह परिसर जिसके लिये अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है किसी ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिये स्वतंत्र रहेगा, जो आबकारी उप-निरीक्षक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो. ऐसे अधिकारी को संग्रहीत की गई और उपयोग में लाई गई स्पिरिट की मात्रा के संबंध में ऐसी जानकारियां प्रदान की जाएंगी जो उसके द्वारा अपेक्षित की जाएं.

4. अनुज्ञप्तिधारी आबकारी अधिनियम और उन अनुदेशों का पालन करेगा जो विप्रकृत स्पिरिट के संग्रहण और उपयोग के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए जाएं.

5. अनुज्ञप्तिधारी विप्रकृत स्पिरिट नियमों से आबद्ध रहेगा.

6. इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) या उसके अधीन बनाये गए नियमों का भंग करने पर इस अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा.

तारीख . . . . (अनुज्ञापन प्राधिकारी)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 10/98/2006/वा. कर (आब.)/पांच(88).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/98/2006/वा. कर (आब.)/पांच (88), दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th October 2006

NOTIFICATION

No. F-10/98/2006/CT (Ex.)/V (88). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a), (b), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Denatured Spirit Rules published under this Department Notification No. 14-V-S.R., dated 7th January, 1960, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules—

(1) After rule VII-A the following rules shall be inserted, namely :—

VII-B.—Licence for the possession of Denatured Spirit for mixing in Petrol/Petroleum Products :—

(i) The Excise Commissioner or an officer authorised by him in that behalf may issue a licence in Form D.S. 4-B on payment of such fees as may be prescribed by the State Government from time to time for the possession and storage of Denatured Spirit for mixing in Petrol/Petroleum products.

(ii) An oil company notified by Central Government which has been authorised to blend motor spirit with Denatured Spirit shall apply in writing for a licence to the Excise Commissioner or the officer authorised by him in whose jurisdiction the premises where in mixing shall be done located or proposed to be located every such application shall contain the following particulars :—

(a) Name of the applicant and his address;

(b) Details of the place where the Denatured Spirit will be stored and mixed;

(c) Plan and map of building where Denatured Spirit will be stored and mixed;

(d) Quantity of Denatured Spirit required annually.

(2) In clause (2) of rule VIII after the proviso the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that such permit fee as may be prescribed by the State Government from time to time import of Special Denatured Spirit by a person having licence in Form D.S. 4-B."

(3) In clause (3) of rule VIII the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that such permit fee shall be charged as may be prescribed by the State Government from time to time to export Special Denatured Spirit by a licensee having licence in Form D.S. 4-B."

(4) In clause (1) of rule IX after the proviso the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that such permit fee shall be charged as may be prescribed by the State Government from time to time to transport Special Denatured Spirit by a licensee having licence in Form D.S. 4-B."

(5) After Form D.S. 4-A the following form shall be inserted, namely :—

FORM D.S. 4-B
[See rule VII-B (i)]

Licence for the possession and use of Spirit Denatured by Special Process

Under rule VII-B of the Denatured Spirit Rules and in consideration of the payment of Rs.......................................the receipt of which is hereby acknowledged, licence is hereby granted to M/s.. possess.......................................liters of Denatured Spirit in your premises situated in...street, in the town of...in the district of...during the year ending the 31st March

200........... subject to the following conditions :—

CONDITIONS

1. The licence extend to the possession of Denatured Spirit for mixing it in the Petrol or Petroleum products.

2. The Special Denatured Spirit shall be kept only on the licensed premises and shall not be sold, nor utilized for purposes other than those specified in condition 1, nor transferred to any other person without the Collector's Permission.

3. The premises for which the licence is granted shall be open to inspection by any officer not below the rank of Sub-Inspector of Excise, who shall be furnished with such the information regarding the quantity of spirit stored and used as may be required by him.

4. The licensee shall observe Excise Act and any instructions, which the Excise Commissioner may issue with regard to the storage and use of Denatured Spirit.

5. The licence holder shall be bound by the Denatured Spirit Rules.

6. On breach of any of the conditions of this licence, or of the provision of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (II of 1915), or of the rule made thereunder, this licence may be cancelled by the licensing Authority.

Dated .... 2006 (Licensing Authority)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/98/2006/वा. कर (आब.)/पांच (89).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-डी. एस. आर., दिनांक 07 जनवरी, 1960 के अधीन प्रकाशित तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/98/2006/वा.कर/आब.)/पांच (88), दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 द्वारा संशोधित विप्रकृत स्पिरिट नियम सात-ख, आठ के खण्ड (2) व (3) और नियम नौ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित फीस निर्धारित करती है :—

(1) डी. एस.4-ख लायसेंस (विशेष प्रक्रिया द्वारा विप्रकृत की गई स्पिरिट को रखने और उपयोग करने के लिए) की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार).

(2) पेट्रोल में मिलाने के लिए विशेष प्रकार के विप्रकृत स्पिरिट के आयात, निर्यात एवं परिवहन के लिए :—

(क) आयात फीस - रुपये 3.50 प्रति बल्क लीटर (रुपये तीन एवं पैसा पचास)

(ख) निर्यात फीस - रुपये 1.50 प्रति बल्क लीटर (रुपये एक एवं पैसा पचास)

(ग) परिवहन फीस - रुपये 0.30 प्रति बल्क लीटर (पैसा तीस)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10/98/2006/वा. कर (आब.)/पांच (89). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/98/2006/वा. कर (आब.)/पांच (89), दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th October 2006

NOTIFICATION

No. F-10/98/2006/CT (Ex.)/V (89).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (g) of sub-section (2) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and the powers conferred by Rules VII-B, clause (2) & (3) of VIII and IX of the Denatured Spirit Rules published under this Department Notification No. 14-V-SR dated 7th January, 1960 and amended by Notification No F-10/98/2006/CT (Ex.)/V (88), dated 27th October, 2006 the State Government hereby prescribes the following fees :—

(1) Annual licence fee of Rs. 10,000 (Rs. Ten thousand) for D. S. 4-B Licence (Licence for the possession and use of Spirit Denatured by Special Process).

(2) For import, export and transport of Special Denatured Spirit to be used for mixing in Petrol :—

(a)	Import fee	-	Rs. 3.50 per bulk liter (Rs. Three & Paisa fifty)
(b)	Export fee	-	Rs. 1.50 per bulk liter (Rs. One & Paisa fifty)
(c)	Transport fee	-	Rs. 0.30 pr bulk liter (Paisa fifty)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.